04.18

17.10.23 (14)
06/11/23 (18)
12/12/23 (19)
30/1/24 (21)
29/2/24
22/4/24 (42)
03.6.24

2023/272

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सुरजाराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत नूरपुरा व अन्य

निगरानी प्रकरण सं0 37/2023

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :- श्री विरेन्द्र सिहाग   अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
29.09.2023	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता को सुना गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना है। अतः मूल रिकॉर्ड तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 09.10.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	2485-86 / 29/9/23 2487-88 / 29/9/2023
09.10.23	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ चुनाव कार्य मे व्यस्त .... कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 17/10/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17.10.2023	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नूरपुरा के पत्रांक दिनांक 9.10.2023 द्वारा उक्त विवादित वाद से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/11/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06/11/23	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ चुनाव कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 12/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/12/23	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ श्रीमान ... कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 30/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/1/24	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उप०। सम्मन बाद आदम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते तलबी दि० 29/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

निगरानी अन्तर्गत
राजस्थान पंचायतीराज

29/4/24 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक [illegible] उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी C4 है। पत्रावली दिनांक 22/5/24 को पेश हो

22.5.24 पत्रावली पेश हुई। सम्मन बाद / अदम तामील प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते तलबी ऐतराज दिनांक 03.6.24 को पेश हो।

544 / 22/5/24

21/5/2024

अधिवक्ता निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 भारत सरकार निगम लिमिटेड (महाप्रबन्धक) जरिये अधिकृत अधिकारी बीएसएलएन ऑफिस, नजदीक मैन बस स्टेण्ड श्रीगंगानगर, उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 20.07.2023 की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 21.08.2023 जो जारी किया गया है वह पब्लिक की आस्था हेतु स्वीकृत शमशानघाट की भूमि पर जारी किया गया है जिससे अनावश्यक न्यूसैन्स पैदा होता है। अगर प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 20.07.2023 की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 21.08.2023 निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा भी उक्त विवादित पट्टा निरस्त करने पर अपनी सहमति दी। अतः उक्त विवादित पट्टा निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता कर्ता की निगरानी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करने में अपनी सहमति दी है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करने में अपनी सहमति देने पर प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 20.07.2023 की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 21.08.2023 निरस्त किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर